प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगल पीठ: माननीय श्री न्यायमूर्ति सुनील कुमार सिन्हा एवं

माननीय श्री न्यायमूर्ति राधे श्याम शर्मा

दांडिक अपील क्र. 1617/1994

राजाराम

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़ राज्य)

विचारण हेतु निर्णय

सही/-

(आर.एस.शर्मा)

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति। : मैं सहमत हूँ

सही/-

(सुनील कुमार सिन्हा)

न्यायाधीश

दिनांक 27.06.2011 को सूचीबद्ध किया जाए-

सही/-

न्यायाधीश

22.06.2011

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

.....

युगल पीठ : माननीय श्री न्यायमूर्ति सुनील कुमार सिन्हा एवं
माननीय श्री न्यायमूर्ति राधे श्याम शर्मा

.....

दांडिक अपील क्र. 1617/1994

अपीलार्थी — राजाराम, पिता जागेश्वर, उम्र लगभग 40 वर्ष,

निवासी- मैनी थाना, बगीचा, जिला-रायगढ़,

मध्य प्रदेश (अब छत्तीसगढ़)

बनाम

प्रत्यर्थी — मध्य प्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़ राज्य)

.....

उपस्थित : श्री आर.के.जैन अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थी।
श्री यू.कि.एस.चंदेल, पैनल अधिवक्ता वास्ते राज्य/प्रत्यर्थी।

.....

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दांडिक अपील अंतर्गत धारा 374(2), दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973

निर्णय

(दिनांक 23.06.2011 को उद्घोषित)

माननीय श्री न्यायमूर्ति राधे श्याम शर्मा -

यह अपील दिनांक 29.9.1994 को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जाशपुरनगर, जिला-रायगढ़ द्वारा सत्र विचारण क्र. 98/94 में पारित निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। आक्षेपित निर्णय के द्वारा अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध हेतु दोषसिद्ध किया गया तथा उसे आजीवन कारावास के दंडादेश से दंडित किया गया ।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं :

अभियोजन के अनुसार, लीलावती (अ.सा.-1) एवं उसका पति उदयभान, संपत्ति के बंटवारे को लेकर अभियुक्त राजाराम के साथ अक्सर विवाद किया करते थे। अभियुक्त की माता ने उदयभान के पुत्र निरंजनदास (मृतक), जिसकी आयु लगभग ढाई वर्ष थी, को अचार दिया था। इस बात को लेकर लीलावती (अ.सा.-1) एवं उसकी सास के मध्य विवाद उत्पन्न हुआ। लीलावती ने

अपनी सास से कहा कि वह उसके पुत्र को अचार न दे। उक्त विवाद के कारण अभियुक्त दिनांक 18-08-1993 को लीलावती के घर गया तथा उससे कहा कि वह उसकी माता को "टोनही" कहकर पुकारती रहती है। इसके पश्चात अभियुक्त ने लीलावती के साथ झगड़ा प्रारंभ कर दिया। अभियुक्त के हाथ में "दाउली" नामक एक हथियार था। उसने लीलावती के बाल पकड़कर उसे अपनी ओर घसीटा। जब गवाह सुखदेव, लच्छू प्रसाद एवं अन्य व्यक्तियों ने उसे रोकने का प्रयास किया, तब अभियुक्त ने लीलावती को छोड़ दिया और गवाहों पर हमला करने के लिए दौड़ा। भयवश गवाह वहाँ से भाग गए। लीलावती (अ.सा.-1) भी वहाँ से भाग गई। उस समय लीलावती का पुत्र निरंजनदास घटनास्थल पर ही उपस्थित था। अभियुक्त ने निरंजनदास को उठाकर अपने घर के सामने ले गया और उसके चेहरे पर दाउली से 2–3 बार प्रहार किया, जिससे निरंजनदास के चेहरे पर गंभीर कटे हुए घाव हो गए। इसके पश्चात अभियुक्त भागने का प्रयास करने लगा, किंतु ग्रामीणों ने उसे दाउली सहित पकड़ लिया। घटना की सूचना पर सुखदेव साई (अ.सा.-8) ने दिनांक 18-08-1993 को थाना बगीचा में प्रथम सूचना रिपोर्ट (अनुलग्नक पी-6) दर्ज कराई तथा मर्ग सूचना (अनुलग्नक पी-7) भी दी, जिसके पश्चात विवेचना प्रारंभ की गई। उप निरीक्षक पुलिस मनोहरलाल पटेल (अ.सा.-7) दिनांक 18-08-1993 को घटनास्थल पर पहुँचे तथा मृतक निरंजनदास के शव का पंचनामा (अनुलग्नक पी-8) के अंतर्गत तैयार किया और शव को पोस्टमार्टम परीक्षण हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, बगीचा भेजा। मृतक का शव-विच्छेद डॉ. के.एन. चौधरी द्वारा किया गया। उन्होंने पाया कि मृतक के मुख, नाक, चेहरे एवं सिर के दाहिने भाग पर अनेक धारदार घाव थे तथा खोपड़ी की हड्डी में संयुक्त (कम्पाउंड) फ्रैक्चर भी पाया गया। चिकित्सक के अनुसार, ये चोटें धारदार हथियार से परीक्षण के समय से लगभग 24 से 36 घंटे पूर्व की थीं। शव-विच्छेद करने वाले चिकित्सक ने यह मत व्यक्त किया कि मृत्यु का कारण अनेक चोटों से अत्यधिक रक्तस्राव एवं न्यूरोजेनिक शॉक था तथा मृत्यु की प्रकृति में मानववध थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट (अनुलग्नक पी-11) को अभियुक्त द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 294 के अंतर्गत स्वीकार किया गया।अभियुक्त द्वारा प्रयुक्त दाउली को गवाह बुर्नू (अ.सा.-3) द्वारा प्रस्तुत किए जाने पर, उप निरीक्षक पुलिस मनोहरलाल पटेल (अ.सा.-7) ने जप्ती पंचनामा (अनुलग्नक पी-1) तैयार किया तथा उक्त दाउली को रासायनिक परीक्षण हेतु भेजा गया।

अन्वेषण पूर्ण होने के पश्चात अभियोग-पत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जशपुरनगर के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। उक्त न्यायालय द्वारा प्रकरण को सत्र न्यायालय को अभिसंपेषित किया गया। तत्पश्चात सत्र न्यायाधीश द्वारा प्रकरण की सुनवाई हेतु अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जशपुरनगर को सौंपा गया, जहाँ अभियुक्त का विधिवत् विचारण किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जशपुरनगर द्वारा आरोप विरचित किए जाने तथा अभियोजन पक्ष के साक्षियों के साक्ष्य अभिलेखबद्ध किए जाने के उपरांत यह निष्कर्ष निकाला गया कि अभियुक्त/अपीलार्थी भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दंडनीय अपराध का दोषी पाया गया । फलस्वरूप अभियुक्त/ अपीलार्थी को आजीवन कारावास के दंड से दंडित किया गया। उक्त निर्णय एवं दंडादेश के विरुद्ध अभियुक्त/ अपीलार्थी द्वारा वर्तमान अपील प्रस्तुत की गई है।

3. श्री आर.के.जैन, अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि चक्षुदर्शी साक्ष्यों का कथन, विश्वास योग्य नहीं है। अभियोजन पक्ष के गवाह, अर्थात् लीलावती (अ.सा.-1), कबूतरीबाई (अ.सा.-2) तथा सुखदेव साई (अ.सा.-8), सभी हितबद्ध साक्ष्य हैं तथा प्रकरण में कोई भी स्वतंत्र साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभियोजन साक्ष्यों के बयानों में अनेक महत्वपूर्ण विरोधाभास विद्यमान हैं तथा उन्होंने समय-समय पर अपने कथनों में सुधार किया है। अतः उनके कथनों पर भरोसा नहीं किया जा सकता और केवल उनके आधार पर अपीलार्थी को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता। विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह भी निवेदन किया कि अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त/ अपीलार्थी को लगी चोटों का कोई भी स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे अभियोजन की संपूर्ण कथा संदेहास्पद हो जाती है। इस आधार पर विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि अभियुक्त/ अपीलार्थी भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत लगाए गए आरोप से दोषमुक्त किए जाने का अधिकारी है। वैकल्पिक रूप से यह भी तर्क दिया गया कि यदि अभियोजन की संपूर्ण कहानी को स्वीकार भी कर लिया जाए, तब भी अपीलार्थी का कृत्य भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दंडनीय नहीं है तथा अधिकतम उसे धारा 304 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत ही दंडित किया जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. इसके विपरीत, राज्य/प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान पैनल अधिवक्ता श्री यू.के.एस.चंदेल ने अभियोजन के प्रकरण का समर्थन करते हुए तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष के साक्ष्य स्वाभाविक साक्ष्य हैं तथा उनकी साक्ष्य पूर्णतः विश्वसनीय है। विद्वान पैनल अधिवक्ता ने यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दोषसिद्ध कर दंडित किया जाना पूर्णतः उचित, वैध एवं साक्ष्यों के अनुरूप है।

5. हमने पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तारपूर्वक सुना है तथा सत्र परीक्षण क्रमांक 98/94 के अभिलेख का अवलोकन किया है। अभियुक्त/अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दोषसिद्ध किए जाने का आधार लीलावती (अ.सा.-1),

कबूतरीबाई (अ.सा.-2), बुर्नू (अ.सा.-3) एवं सुखदेव साई (अ.सा.-8) के कथन हैं, जो घटना के चक्षुदर्शी साक्षी हैं तथा जिनकी गवाही चिकित्सकीय साक्ष्य द्वारा पुष्ट होती है। लीलावती (अ.सा.-1) मृतक निरंजनदास की माता है। कबूतरीबाई (अ.सा.-2), लीलावती (अ.सा.-1) की पड़ोसी है। सुखदेव साई (अ.सा.-8) ग्राम पंचायत के सरपंच हैं तथा बुर्नू (अ.सा.-3) एक स्वतंत्र साक्षी है। इस प्रकार, केवल लीलावती (अ.सा.-1) ही मृतक की रिश्तेदार साक्षी है, शेष सभी साक्षी स्वतंत्र साक्षी हैं। साक्षी का संबंध मात्र उसकी विश्वसनीयता को प्रभावित करने का आधार नहीं हो सकता। यह स्थापित सिद्धांत है कि कोई भी संबंधी साक्षी वास्तविक अपराधी को बचाने के लिए किसी निर्दोष व्यक्ति को झूठा फँसाने का प्रयास नहीं करेगा। यदि झूठे फँसाए जाने की अभिकथन ली जाती है, तो उसके समर्थन में ठोस आधार प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होता है। अतः न्यायालय का कर्तव्य है कि वह साक्ष्यों का सावधानीपूर्वक परीक्षण करे तथा यह निर्धारित करे कि वे सुसंगत, विश्वसनीय एवं भरोसेमंद हैं या नहीं। वर्तमान मामले में केवल लीलावती (अ.सा.-1) ही संबंधी साक्षी है। हम पाते हैं कि उसका कथन सुस्पष्ट, सुसंगत एवं विश्वासयोग्य है तथा कबूतरीबाई (अ.सा.-2) एवं सुखदेव साई (अ.सा.-8) की गवाही से, साथ ही चिकित्सकीय साक्ष्य से भी पूर्णतः पुष्ट होता है। अतः मात्र मृतक से उसके संबंध के आधार पर लीलावती (अ.सा.-1) की गवाही को अस्वीकार नहीं किया जा सकता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. लीलावती (अ.सा.-1) ने अपने बयान में कहा है कि मृतक निरंजनदास उसका पुत्र था। अपीलार्थी ने लीलावती (अ.सा.-1) के साथ मारपीट की। इस पर वह वहाँ से भागकर ग्राम पंचायत के सरपंच सुखदेव साई (अ.सा.-8) के घर गई और उनसे अपीलार्थी को मारपीट से रोकने के लिए कहा। सुखदेव साई (अ.सा.-8) अपीलार्थी को रोक नहीं सके। अपीलार्थी ने लीलावती पर 'डौली' से हमला किया। लीलावती ने डौली को पकड़ लिया, जिससे उसके दाहिने हाथ और उँगलियों में चोटें आईं। इसके बाद अपीलार्थी ने लीलावती को छोड़ दिया। तत्पश्चात अपीलार्थी ने वहीं खेल रहे निरंजनदास को उठाया, उसे अपने साथ ले गया और डौली से उस पर हमला किया। उसने निरंजनदास के चेहरे पर डौली से तीन वार किए। उसके चेहरे से रक्त बहने लगा तथा उसका चेहरा बुरी तरह क्षत-विक्षत हो गया। जब अपीलार्थी निरंजनदास पर हमला कर रहा था, तभी कबूतरीबाई (अ.सा.-2) एवं बुर्नू (अ.सा.-3) वहाँ पहुँच गए। इसके पश्चात अपीलार्थी भागने का प्रयास करने लगा, किंतु बुर्नू (अ.सा.-3) एवं सुखदेव साई (अ.सा.-8) ने उसे पकड़ लिया और एक 'बड़' के पेड़ के पास बाँध दिया।

7. काबुतरीबाई (अ.सा.-2) ने अपने कथन में कहा है कि जब लीलावती अपने पुत्र निरंजनदास के साथ घर से बाहर निकली, उसी समय अपीलार्थी यह कहते हुए धमकी दे रहा था कि वह उस पर हमला करेगा तथा उसे चाकू से काटेगा। इस पर लीलावती सरपंच सुखदेव साईं (अ.सा.-8) के पास गई और उससे अपनी रक्षा करने का अनुरोध किया। उसने सरपंच से यह भी कहा कि वह अपने पुत्र के साथ कहीं भागकर चली जाएगी। इसके पश्चात लीलावती काबुतरीबाई के घर के सामने आई, जहाँ उस समय काबुतरीबाई तथा एक गौरा उपस्थित थे। उसी दौरान अपीलार्थी ने लीलावती को घसीटते हुए सड़क तक ले गया। जब अपीलार्थी ने छुरा निकालकर लीलावती पर प्रहार करने का प्रयास किया, तब लीलावती ने अपीलार्थी को धक्का दिया और वहाँ से भाग निकली। इस दौरान उसके हाथ में चोट आई। इसके पश्चात अपीलार्थी ने निरंजनदास को उठाकर उसे एक अन्य स्थान पर बैठाया और फिर निरंजनदास को नीचे पटककर चाकू/छुरी से उसके चेहरे पर वार किया।

8. सुखदेव साईं (अ.सा.-8) ने भी लीलावती (अ.सा.-1) तथा काबुतरीबाई (अ.सा.-2) के कथनों का समर्थन किया है। सुखदेव साईं (अ.सा.-8) ने अपने बयान में कहा कि काबुतरीबाई (अ.सा.-2) एवं अन्य लोगों की आवाज सुनकर वह अपीलार्थी के घर पहुँचे। उस समय अपीलार्थी अपने भाई की पत्नी लीलावती (अ.सा.-1) को घसीटते हुए अपने घर की ओर ले जा रहा था। जब लीलावती अपीलार्थी के हाथों से छूट गई, तब अपीलार्थी सुखदेव साईं (अ.सा.-8) तथा वहाँ उपस्थित अन्य व्यक्तियों की ओर दौड़ा। उस समय अपीलार्थी के हाथ में दाउली (धारदार हथियार) थी। इस कारण सुखदेव साईं एवं अन्य लोग अपने-अपने घरों की ओर भाग गए। उसी समय लक्ष्मी प्रसाद वहाँ आया और कहा कि उन्हें लीलावती के पुत्र को बचाने जाना चाहिए। इसके पश्चात वे अपने-अपने घरों से लाठी-डंडा लेकर वहाँ पहुँचे। जब वे सड़क पर पहुँचे, तो उन्होंने देखा कि लीलावती का पुत्र हाँफ रहा था। उसके चेहरे पर गहरे कट लगे हुए थे तथा अत्यधिक मात्रा में रक्त जम गया था। इसके बाद उन्होंने लीलावती को बुलाया तथा अपीलार्थी की तलाश में निकले। अपीलार्थी सती डीपारा के पास दिखाई दिया। उन्होंने उसे घेर लिया और उससे हथियार नीचे रखने को कहा।

9. बर्नू (अ.सा.-3) ने भी सुखदेव साईं (अ.सा.-8) के कथन की पुष्टि करते हुए अभियोजन की कहानी का समर्थन किया है।

10. उप निरीक्षक मनोहरलाल पटेल (अ.सा.-7) ने अपने बयान में कहा है कि अपीलार्थी के हाथ में जो दाउली थी, उस पर रक्त के धब्बे लगे हुए थे। जाँच के दौरान बर्नू (अ.सा.-3) ने उक्त दाउली पुलिस को सौंप दी, जिसकी जप्ती मेमो (अनुलग्नक पी-1) के तहत तैयार की गई। उन्होंने यह भी

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

बताया कि दिनांक 18-08-1993 को उन्होंने मृतक निरंजनदास के शव को पोस्टमार्टम परीक्षण हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, बगीचा भेजा था।

11. शव विच्छेदन प्रतिवेदन (अनुलग्नक पी-11) को अपीलार्थी द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 294 के अंतर्गत स्वीकार किया गया है। डॉ. के.एन. चौधरी ने मृतक के मुख, नाक, चेहरे तथा सिर के दाहिने भाग पर अनेक धारदार घाव पाए, साथ ही खोपड़ी की हड्डी में संयुक्त (कम्पाउंड) फ्रैक्चर पाया गया। इस प्रकार चिकित्सीय साक्ष्य लीलावती के कथन की पुष्टि करता है, जिसे स्वतंत्र गवाह काबुतरीबाई (अ.सा.-2) एवं सुखदेव साईं (अ.सा.-8) के बयानों से भी समर्थन प्राप्त होता है। अतः लीलावती का साक्ष्य पूर्णतः विश्वसनीय है और उसी के आधार पर अपीलार्थी को दोषसिद्ध ठहराया जाना न्यायोचित है।

12. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अपीलार्थी को जो चोटें आई थीं, उनके संबंध में अभियोजन द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। उनके अनुसार, चोटों के स्पष्टीकरण के अभाव में अभियोजन की कहानी संदेहास्पद हो जाती है तथा उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. **शाजहान एवं अन्य बनाम राज्य केरल एवं अन्य**, **(2007) 12 एससीसी 96** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 10 में (केवल प्रासंगिक अंश उद्धृत किया जा रहा है) यह अवलोकन किया है :—

> "10. .....अभियोजन द्वारा अभियुक्त को आई चोटों का स्पष्टीकरण न दिया जाना, अभियोजन के मामले को प्रभावित नहीं करता, जब अभियुक्त को आई चोटें तुच्छ एवं सतही हों अथवा जब साक्ष्य इतने स्पष्ट, ठोस, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष, संभाव्य, संगत एवं विश्वासयोग्य हों कि वे अभियोजन की ओर से चोटों के स्पष्टीकरण में हुई चूक के प्रभाव को निष्प्रभावी कर दें। जैसा कि इस न्यायालय ने **रामलगन सिंह बनाम राज्य बिहार, (1973) 3 एससीसी 881** में कहा है, प्रत्येक मामले में अभियोजन से अभियुक्तों को आई चोटों का स्पष्टीकरण देना अपेक्षित नहीं होता। अभियुक्तों को आई चोटों के संबंध में अभियोजन के गवाहों से प्रश्न पूछना बचाव पक्ष का दायित्व है। जब ऐसा नहीं किया जाता, तब अभियोजन गवाहों द्वारा अभियुक्त के शरीर पर आई किसी भी चोट का स्पष्टीकरण देने का कोई अवसर ही उत्पन्न नहीं होता। हरे **कृष्ण सिंह बनाम राज्य बिहार, (1988) 2 एससीसी 95** में यह भी कहा गया है कि उसी घटना में अभियुक्त को आई चोटों का स्पष्टीकरण देना अभियोजन का दायित्व प्रत्येक

मामले में अनिवार्य नहीं होता। दूसरे शब्दों में, यह कोई अपरिवर्तनीय नियम नहीं है कि अभियोजन को उसी घटना में अभियुक्त को आई चोटों का अनिवार्य रूप से स्पष्टीकरण देना ही होगा। यदि अभियोजन की ओर से परीक्षित गवाहों पर न्यायालय विश्वास करता है और अभियुक्त का दोष संदेह से परे सिद्ध हो जाता है, तो अभियुक्त को आई चोटों के स्पष्टीकरण का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। जब अभियोजन एक निश्चित मामला लेकर आता है और अपराध को संदेह से परे सिद्ध कर देता है, तब अभियोजन के लिए यह आवश्यक नहीं रह जाता कि वह पुनः यह बताए कि अभियुक्त को चोटें कैसे और किन परिस्थितियों में आईं। ....."

14. इसी प्रकार, **रिजन एवं अन्य बनाम राज्य छत्तीसगढ़ (द्वारा मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर), (2003) 2 एससीसी 661** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 14 में (केवल प्रासंगिक अंश उद्धृत) यह कहा है :—

"14. .....घटना के समय अथवा आपसी झगड़े के दौरान अभियुक्त को आई चोटों का अभियोजन द्वारा स्पष्टीकरण न दिया जाना एक महत्वपूर्ण परिस्थिति हो सकती है। किंतु केवल इस आधार पर कि अभियोजन ने अभियुक्त को आई चोटों का स्पष्टीकरण नहीं दिया, प्रत्येक मामले में अभियोजन का मामला प्रभावित नहीं होता। यह सिद्धांत उन मामलों में लागू होता है, जहाँ अभियुक्त को आई चोटें तुच्छ एवं सतही हों अथवा जहाँ साक्ष्य इतने स्पष्ट, ठोस, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष, संभाव्य, संगत एवं विश्वसनीय हों कि वे अभियोजन द्वारा चोटों के स्पष्टीकरण में हुई चूक के प्रभाव को बहुत अधिक मात्रा में निष्प्रभावी कर दें।....."

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

15. वर्तमान मामले में अपीलार्थी को आई चोटों का अभियोजन द्वारा समुचित रूप से स्पष्टीकरण दिया गया है। कबूतरीबाई (अ.सा.-2) ने अपने कथन में कहा है कि अपीलार्थी को नियंत्रित करने हेतु उस पर पत्थर फेंके गए थे। सुखदेव साई (अ.सा.-8) ने कहा है कि जब उन्होंने अपीलार्थी को पकड़ रखा था, तब उन्होंने उसके माथे एवं पैर पर कटे हुए घाव देखे थे। वहीं, मनोहरलाल पटेल (अ.सा.-7) ने यह स्पष्ट रूप से बयान दिया है कि अपीलार्थी को आई चोटें मृतका की माता लीलावती के साथ हुई झड़प के दौरान लगी थीं। उसने यह कथन किया की उन्होंने लीलावती तथा अपीलार्थी को चिकित्सीय परीक्षण हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, बगीचा भेजा था। यद्यपि अपीलार्थी की एम.एल.सी. रिपोर्ट प्रदर्शित दस्तावेजों के साथ संलग्न नहीं की गई है, तथापि सहायक जिला लोक अभियोजक द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 294 के अंतर्गत उक्त

एम.एल.सी. रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया है। हमारे विचार में अभियोजन पक्ष का साक्ष्य स्पष्ट, सुसंगत एवं विश्वसनीय है। अभियोजन एक ठोस एवं निश्चित मामले के साथ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ है कि अपराध अपीलार्थी द्वारा ही कारित किया गया तथा उसने अपना मामला सभी युक्तिसंगत संदेहों से परे सिद्ध किया है।

16. हमने लीलावती (अ.सा.-1), कबूतरीबाई (अ.सा.-2), बुर्नू (अ.सा.-3) एवं सुखदेव साई (अ.सा.-8) के साक्ष्यों का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया है। उक्त गवाहों ने स्पष्ट एवं एकस्वर में यह बयान दिया है कि घटना के दुर्भाग्यपूर्ण दिन अपीलार्थी लीलावती के घर आया, उसे घसीटकर बाहर ले गया तथा तत्पश्चात उसके पुत्र निरंजनदास को उठाकर, अपने साथ लाई हुई 'दाउली' नामक धारदार हथियार से उस पर प्रहार किया। हमने चिकित्सीय साक्ष्य का भी परीक्षण किया है। चिकित्सक ने यह अभिमत व्यक्त किया है कि मृतक के शरीर पर पाई गई चोटें धारदार हथियार से लगी थीं तथा मृत्यु की प्रकृति में मानव वध थी। अतः अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा अभिलेखित इस निष्कर्ष में हमें कोई त्रुटि अथवा कमजोरी परिलक्षित नहीं होती कि मृतक के शरीर पर दाउली से चोटें अपीलार्थी द्वारा ही कारित की गई थीं तथा उन्हीं चोटों के परिणामस्वरूप मृतक की मृत्यु हुई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. अब हम इस प्रकरण का परीक्षण भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के प्रावधानों को धारा 304 के संदर्भ में रखते हुए करेंगे।

18. भारतीय दंड संहिता की धारा 304 उस आपराधिक मानव वध के लिए दंड का प्रावधान करती है, जो हत्या की श्रेणी में नहीं आता। यह धारा उन मामलों में दंड के निर्धारण के संबंध में एक स्पष्ट भेद स्थापित करती है—एक ओर वे मामले, जिनमें मृत्यु कारित करने का आशय विद्यमान होता है और जिनमें किया गया कृत्य, यदि भारतीय दंड संहिता की धारा 300 में वर्णित किसी अपवाद के अंतर्गत न आता, तो वह हत्या की श्रेणी में आता; तथा दूसरी ओर वे मामले, जिनमें अपराध आपराधिक मानव वध तो होता है, किंतु हत्या नहीं माना जाता, अर्थात् जहाँ अभियुक्त को यह ज्ञान होता है कि उसके कृत्य से मृत्यु होने की संभावना है, परंतु मृत्यु कारित करने का अथवा ऐसी शारीरिक क्षति पहुँचाने का आशय नहीं होता, जो मृत्यु का कारण बन सके या अभाव होता है, भारतीय दंड संहिता की धारा 304 का प्रथम भाग उन मामलों में लागू होता है, जहाँ अभियुक्त का आशय विद्यमान हो, जबकि इसका द्वितीय भाग उन मामलों में लागू होता है, जहाँ आशय का अभाव होते हुए भी मृत्यु होने का ज्ञान मौजूद हो। तथापि, धारा 304 के किसी भी भाग के अंतर्गत अभियुक्त को दोषी ठहराने से पूर्व यह आवश्यक है कि यह अवलोकित किया जाए कि मृत्यु

भारतीय दंड संहिता की धारा 300 में वर्णित पाँच अपवादों में से किसी एक के अंतर्गत आने वाली परिस्थितियों में अभियुक्त द्वारा कारित की गई हो। इन अपवादों में गंभीर एवं अचानक प्रकोपन में आत्मसंयम के अभाव में मृत्यु कारित किया जाना, व्यक्ति या संपत्ति की निजी रक्षा के अधिकार का सद्भावपूर्वक प्रयोग करते हुए मृत्यु कारित किया जाना, तथा बिना पूर्वविचार के आवेग की अवस्था में अचानक हुए संघर्ष के दौरान मृत्यु कारित किया जाना सम्मिलित है। किसी कृत्य के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले संभावित परिणामों का ज्ञान होना, आशय से भिन्न अवधारणा है। आशय से तात्पर्य यह है कि किसी विशेष परिणाम को प्राप्त करने के उद्देश्य से कृत्य किया गया हो, जबकि ज्ञान का अर्थ यह है कि व्यक्ति इस बात से अवगत हो कि उसके कृत्य से कोई विशेष परिणाम घटित हो सकता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के प्रथम भाग को आकर्षित करने के लिए आशय का तत्व आवश्यक है, जबकि इसके द्वितीय भाग को आकर्षित करने के लिए ज्ञान का तत्व पर्याप्त होता है। अतः यह स्पष्ट है कि 'आशय' वह मानसिक अवस्था है जिसमें किसी विशिष्ट परिणाम को प्राप्त करने के उद्देश्य से कार्य किया जाता है, जबकि 'ज्ञान' वह चेतना या बोध है, जिसके अंतर्गत यह समझ होती है कि किसी कृत्य के परिणामस्वरूप कोई विशेष परिणाम घटित हो सकता है, भले ही उसे घटित करने का प्रत्यक्ष उद्देश्य न हो।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. श्री जैन, जो कि अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता हैं, ने अपने तर्कों में "अचानक प्रकोपन" के आधार पर विशेष बल दिया है। जहाँ तक अचानक प्रकोपन का प्रश्न है, विधि का स्पष्ट सिद्धांत यह है कि ऐसा उकसावा उसी व्यक्ति द्वारा दिया जाना चाहिए जो पीड़ित हो। वर्तमान प्रकरण में, अपीलार्थी का लीलावती के साथ विवाद हो रहा था और जब लीलावती वहाँ से भाग गई, तब अपीलार्थी ने उसके पुत्र, अर्थात् मृतक निरंजनदास, जिसकी आयु मात्र ढाई वर्ष थी, को पकड़ लिया तथा उस पर 'दौली' नामक धारदार हथियार से उसके मुख, चेहरे एवं माथे पर प्रहार कर गंभीर चोटें पहुँचाईं। अतः , अपीलार्थी द्वारा प्रत्यक्षदर्शी गवाहों को धमकाने का भी प्रयास किया गया। अतः में अपीलार्थी का कृत्य किसी भी प्रकार से अचानक प्रकोपन का परिणाम नहीं कहा जा सकता। अभियोजन पक्ष के गवाहों के कथनों से यह स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि अपीलार्थी ने मृतक निरंजनदास को अनेक गंभीर चोटें पहुँचाईं, जिसके फलस्वरूप मृतक की खोपड़ी की हड्डी में कई स्थानों पर फ्रैक्चर हो गया।

20. प्रहार की गंभीरता का अनुमान इस तथ्य से सहज ही लगाया जा सकता है कि अपीलार्थी ने मृतक के मुख, चेहरे एवं माथे पर कटने वाली चोटें पहुँचाईं तथा उसकी खोपड़ी की हड्डी में अनेक फ्रैक्चर उत्पन्न कर दिए। अपीलार्थी द्वारा प्रयुक्त हथियार की प्रकृति, मृतक पर आक्रमण करने की विधि, प्रहार की तीव्रता एवं गंभीरता, तथा शरीर के उन महत्वपूर्ण अंगों का चयन, जिन पर प्रहार

किया गया, यह स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि अपीलार्थी का उद्देश्य मृतक की हत्या करना था। हमारे मत में, उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए, अपीलार्थी का कृत्य भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अंतर्गत वर्णित किसी भी अपवाद के अंतर्गत नहीं आता है तथा वर्तमान मामला ऐसा आपराधिक मानव वध नहीं कहा जा सकता जो हत्या की श्रेणी में न आता हो।

21. उपर्युक्त समस्त कारणों के आधार पर, हमें अपील में कोई भी ठोस या सारगर्भित आधार दृष्टिगोचर नहीं होता। अतः यह दांडिक अपील निराधार पाई जाती है और परिणामस्वरूप इसे खारिज किया जाता है।

सही/–

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश

सही/–

आर.एस.शर्मा

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By Shreyas Nayak (Advocate)